–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 6/2023

उनवान

पीर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम झडवासा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नौसर पत्नी बिरदीचन्द जाति भांबी निवासी ग्राम गोठियाना, तहसील सरवाड
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :– 2 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

3. खैरून पुत्र मोहम्म्द रसूल उर्फ हुसैन,
4. उस्मान,
5. नजीर,
6. मेहमूदा,
7. शकूर,
8. सलीम पुत्र रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन,
9. सईदा,
10. रेशमा पुत्री रहीसा पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन,
11. इरफान,
12. फिरोज पुत्र नफीसा पुत्री मोहम्म्द रसूल उर्फ हुसैन,
13. फरजाना पुत्री मोहम्मद रसूल उर्फ हुसैन समस्त जातिगण मुसलमान निवासी झडवासा तहसील नसीराबाद
14. हनुमान सहाय माछलियापुरा जाति रेगर निवासी रेगरगो का मौहल्ला, रामजीपुरा कलॉ, जयपुर

—— अप्रार्थीगण :– 14 जरिये अधिवक्ता श्री नितेश यादव
शेष अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 22.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 1738 रकबा [illegible] व खसरा नम्बर 1739 रकबा 0.32 चाही 3 आवेनकर्ता की खातेदारी की है। प्रार्थी अप[illegible]री आराजी में हाल खसरा नम्बर 1748, 525/4932 सडक से होकर [illegible] को होकर अपनी खातेदारी में आता–जाता है। हाल खसरा नम्बर [illegible] अप्रार्थी की भूमि है। अप्रार्थी की भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:41 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

होकर आवागमन का एक मात्र रास्ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1द्वारा भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 14 को किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्य 14 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 6196/6193 के तरमीमी खसरा नम्बर 6301/6196 से प्रार्थी ने कभी भी अवागमन नही किया है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1738 व 1739 की पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 1717 व 1717 के दक्षिण दिशा में 1714 व 1712 प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी स्वयं की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 1712 के पूर्वी दिशा में 1695 गै.मु. रास्ता रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज है। खसरा नम्बर 1712 व 1695 के मध्य खसरा नम्बर 1713 स्थित है। प्रार्थी पूर्व से ही खसरा नम्बर 1695 व 1713 से आवागमन करता है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते को छुपाकर आवेदन पत्र पेश किया है। प्रार्थी खसरा नमबर 6196/6193 में से रास्ता प्राव्त कर अपनी खातेदारी आराजी की कीमत बढाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। खसरा नम्बर 1738 व 1739 प्रार्थी व प्रफोर्मा की खातेदारी का है। खसरा नम्बर 6196/6193 के तरमीमी खसरा नम्बर 6301/6196 अप्रार्थी संख्या 14 की क्रयशुदा खातेदारी का है। खसरा नम्बर 1712, 1714 व 1717 प्रार्थी व प्रफोर्मा की सुंयक्त खातेदारी का है। दिनांक 13.6.24 व 06.02.2025 को तैयार मोका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1739 में जाने के लिये 1717, 1714, 1712, 1713 में से खसरा नम्बर 1695 गै.मु. रास्ता का उपयोग करता है। उक्त मार्ग को लघुतम बताया है। प्रार्थी ,ासरा नम्बर 1695 से खसरा नम्बर 1739 में जाना नही चाहता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 6301/6196 में से रास्ता चाहा गया है जो कि दीर्घतम है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1712, 1714 व 1717 प्रार्थी व प्रफोर्ता अप्रार्थीगण कर संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी प्रार्थी की अन्य खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1739 से लगती हुयी है। तथा उक्त समस्त आराजी पर खसरा नम्बर 1695 मुख्य माग्र से होते हुये खसरा नम्बर 1713 में से आवागमन लघुतम व सुगम है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग दीर्घतम है। खसरा नम्बर 1713 में से 60 मीटर व खसरा नम्बर 6301/6196 में से 128 मीटर लम्बा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतु आवागमन करना है ऐसी स्थिति में राजमार्ग से दीर्घ रास्ते के बजाय खसरा नम्बर 1713 में से लघुतम रास्ता दिया जाना उचित है उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता प्राप्त करने से भी प्रार्थी अपनी आराजी पर कृषि कार्य कर सकता है। पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी खसरा नम्बर 1713 में से आवागमन करना भी बताया गया है। अतः वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना व चाहा गया मार्ग दीर्घतम होने के कारण प्रार्थी आराजी मुतनाजा पर मार्गाधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते के खातेदार को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब कराकर प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद